

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 (II) में प्रकाशित

भारत सरकार
दिल्ली मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

=====

नई दिल्ली, दिनांक

4-6-1933

अधिसूचना

आयकर

सं० 5207 (फस० सं० 398/21/83-आ० सं० 40)) : आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खण्ड (III) के
अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 22/7/61 की
अधिसूचना सं० 4119 (फस० सं० 398/22/61-आ० सं० 40)) का अधिलेखन
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए० सी०
को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री ए० सी० द्वारा कर
वसूली अधिकारी के सम में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

(ए० सी० गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली।